राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ36 (165) पीसीपीएनडीटी /स्वा.प्रबं/डिकॉय/2015/ 1041 दिनांक : 3.9.15

1. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी)
   एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।

2. समस्त जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी),
   एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

3. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं
   जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान। (जरिये जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी)

विषयः – डिकॉय ऑपरेशन हेतु मार्गदर्शिका बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांर्गत निवेदन है कि विभाग द्वारा जारी की गयी डिकॉय ऑपरेशन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न कर आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी)
एवं उप निदेशक आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
3. महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर। जरिये CMHO जोधपुर जयपुर-I & II
4. अतिरिक्त शासन सचिव व मिशन निदेशक (एनएचएम), निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त शासन सचिव (आरसीएच), कमरा नं0 145–ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक (पीएनडीटी), कमरा नं0 203 डी, निर्माण भवन, मंत्रालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त सदस्य राज्य, जिला एवं उपखण्ड समुचित प्राधिकारी, राजस्थान। जरिये Distt. PCPNDT Coordinator
11. समस्त सदस्य राज्य, जिला एवं उपखण्ड सलाहकार समिति, राजस्थान। जरिये Distt. PCPNDT Coordinator
12. समस्त सदस्य राज्य बेटी बचाओ अभियान प्रकोष्ठ, राजस्थान।

13. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
14. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
15. प्रभारी अधिकारी पुलिस थाना पीबीआई/क्राइम ब्रांच राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
16. राज्य समन्वयक/स्वास्थ्य प्रबंधक/विधि विशेषज्ञ, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
17. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
18. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी)
एवं उप निदेशक आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

डिकॉय ऑपरेशन संपादित किये जाने हेतु मार्गदर्शिका

1. **प्रस्तावना :–**

राज्य में चिकित्सकों को गर्भधारण–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक के दुरूपयोग को रोकने के लिए गोपनीय रूप से सूचना जनता से प्राप्त करना आवश्यक है तथा ऐसी सूचना को प्रदान करने के लिए जनता को अभिप्रेरित करना भी आवश्यक है, इसके लिए "मुखबिर योजना" विभाग द्वारा लागू की गई है, इसमें जनसहयोग की आवश्यकता है। मुखबिर की सूचना पर आवश्यक हो जाता है कि डिकॉय ऑपरेशन किया जाकर दोषी चिकित्सक को गर्भधारण–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के दायरे में लाया जावें।

2. **डिकॉय ऑपरेशन के उद्देश्य :–**
   a. राज्य मे घटते हुए बाल लिंगानुपात पर रोक लगाने का प्रयास।
   b. गर्भधारण–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का प्रभावी क्रियान्वयन।

3. **कार्य नीति :–**

डिकॉय ऑपरेशन संपादित करने के लिए निम्न मार्गदर्शिका प्रस्तुत की जा रही है, जो न्युनतम मानदण्ड दर्शाती है जिससे की गर्भधारण–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध साक्ष्य जुटाऐं जा सके।

4. **समुचित प्राधिकारी हेतु दिशा–निर्देश :–**
   a. ऐसे चिकित्सक/पंजीकृत केन्द्रों की सूची तैयार की जावे जहां लिंग चयन किया जाना संदिग्ध है।
   b. इस हेतु गैर सरकारी संगठनों/सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की मदद ली जा सकती है।
   c. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा पर कार्य कर चुके पूर्व कर्मचारियों की जिलेवार सूची बनाई जावें जिसे राज्य स्तर पर संकलित की जावे। ऐसे व्यक्ति/महिला वर्तमान में कहां पर कार्यरत है, सूची में अंकित किया जावे।

5. **डिकॉय ऑपरेशन हेतु कार्य नीति :–**

निम्न मानदण्ड समस्त उन लोगों (विभाग के अधिकारी/कर्मचारी) पर लागू होंगे जो कि समुचित प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के साथ डिकॉय ऑपरेशन हेतु सहयोग करेंगे :–
   a. डिकॉय ऑपरेशन, संबधित समुचित प्राधिकारी के पर्यवेक्षण मे किया जावेगा।
   b. उचित रहेगा की डिकॉय ऑपरेशन संपादित किये जाने से पहले एवं बाद में फोटो लिये जावें या निरन्तर विडियो रिकोर्डिंग की जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर डिकॉय की याददास्त हेतु उसे दिखाया जा सके। विडियों रिकॉर्डिंग किये जाने हेतु संबंधित व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जा सकती है।
   c. डिकॉय ऑपरेशन के दौरान विडियो, ओडियो की गुप्त रिकार्डिंग भी की जा सकती है।

d. डिकॉय ऑपरेशन हेतु जिला स्तर पर निर्णय लिया जाकर उपयोग में आने वाले उपकरण खरीदे जा सकते है।

e. बोगस गर्भवती महिला का असली पता सुरक्षा व अन्य कारणों से छिपाकर कार्यवाही के दौरान बोगस नाम व पता रखा जाये।

f. बोगस गर्भवती महिला के जन्म लेने वाले शिशू के लिये बीमा पॉलिसी का प्रावधान रखा जाये।

g. बोगस गर्भवती महिला के साथ जहां तक संभव हो सादे कपडों में महिला पुलिस कार्मिक को भेजा जाये।

6. **डिकॉय ऑपरेशन पूर्व तैयारी :–**

a. गैर सरकारी संगठन की सहायता से यथासंभव ऐसी महिला तैयार की जावे, जो गर्भवती हो एवं इस कार्य में स्वेच्छा से सहयोग प्रदान करें तथा उसका मेडिकल चेकअप करवाया जावे या गर्भवती होने के प्रमाण पत्रावली पर लिये जावे ताकि साक्ष्य में यह सुनिश्चित किया जा सके की वह गर्भवती है। गर्भवती महिला से इस आशय का शपथपत्र लिया जावें की वह स्वैच्छा से जनहित मे उक्त कार्य मे सहयोग दे रही है, तथा वह अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग पता नहीं करवाना चाहती, भ्रूण के लिंग का पता चलने पर गर्भसमापन नहीं करवाएगीं।

b. गर्भवती महिला का चयन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखा जायें कि उक्त महिला को 14 से 22 सप्ताह का गर्भ हो।

c. उपयोग में लिये जाने वाले रूपयों की छायाप्रति करवाकर फर्द बनाकर रूपये डिकॉय को सुपुर्द किये जावे।

d. चिकित्सक/पंजीकृत केन्द्र को चिन्हित किया जावे।

e. उचित होगा की गैर सरकारी संगठन के सदस्य/सामाजिक कार्यकर्ता को इस कार्य में सहयोगी के रूप में लिया जावें जिनका विवरण स्पष्ट रूप से रखा जावें।

f. जिस क्षेत्र में डिकॉय ऑपरेशन सम्पादित किया जाना है उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के दूरभाष नम्बर ले लिये जावें। आवश्यकतानुसार स्थानीय पुलिस को समय पूर्व सूचित किया जावे जिससे आवश्यकता पड़ने पर उचित मदद ली जा सके।

7. **डिकॉय ऑपरेशन की रूपरेखा :–**

a. पूरे ब्योरे की नोटशीट तैयार की जावें "रवानगी से अन्त तक"

b. समस्त सूचनाओं का संकलन किया जावे, जैसे :– डिकॉय हेतु महिला का पता एवं उसके गर्भवती हाने के प्रमाण पत्र, अन्य सहयोगी/गवाह, चिकित्सक का पूर्ण पता आदि।

c. एक टीम गठित की जावे जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हो जो "बेटी बचाओ" अभियान हेतु कार्य कर रहे हो एवं सूचना को लीक न करें। टीम का गठन आवश्यकता अनुसार किया जावें।

d. डिकॉय की पहचान को गुप्त रखते हुए डिकॉय ऑपरेशन पूर्ण गोपनीय रूप से संपादित किया जावे। टीम के सदस्य संयम से अपनी भूमिका निभाये।

e. टीम के प्रत्येक सदस्य को ब्रीफ किया जाकर उसकी भूमिका समझा दी जावे एवं कोई सन्देह हो तो समाधान किया जावे।

f. डिकॉय ऑपरेशन की सूचना टीम के सदस्यों के अलावा किसी को उजागर न हो। किसी कारणवश मिडिया पहुंच जावे तो उससे उचित दूरी बनाये रखे।

g. डिकॉय के दौरान ओडियो टेप/विडीयो टेप का प्रयोग किया जाकर चिकित्सक और डिकॉय के मध्य की वार्तालाप को रिकार्ड किये जाने का प्रयास किया जावें तथा उसे न्यायालय मे साक्ष्य के रूप मे प्रयोग किया जावें।

h. टीम अपने साथ निरीक्षण एवं अनुसंधान किट साथ ले।

8. **डिकॉय ऑपरेशन के दौरान कार्यवाही :–**

a. डिकॉय ऑपरेशन से पूर्व डिकॉय एवं पूरी टीम को ब्रीफ किया जावे। टीम के प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य स्पष्ट हो।

b. डिकॉय ऑपरेशन सुनियोजित तरीके से संपादित किया जावे।

c. डिकॉय एवं उसके साथ एक सहयोगी को एक स्थान पर छोडकर अन्य टीम के सदस्य उसके बुलावे का इन्तजार करे (बुलावे के लिये कोई संकेत तय किया जा सकता है)।

d. डिकॉय संदिग्ध चिकित्सक के पास जाकर अपनी भूमिका निर्देशानुसार निभाये।

e. लिंग जाँच हो जाने के पश्चात, डिकॉय अपने टीम लीडर को संकेत से बुलाये एवं टीम लीडर आवश्यक कार्यवाही शुरू करे।

f. टीम द्वारा संदिग्ध क्लिनिक/स्थान/वाहन आदि के समस्त द्वारा बन्द कर दिये जावें। किसी भी व्यक्ति को अंदर से बाहर एवं बाहर से अंदर जाने की इजाजत नही हो।

g. टीम के पहुंचने के पश्चात आरोपी चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के मोबाईल फोन बन्द कर दिये जावे एवं किसी फोन से कोई फोन करने की इजाजत नही दी जावे।

h. आरोपी चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ को जहां के तहां बैठे रहने की हिदायत की जावे।

i. डिकॉय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस कार्य के लिये टीम में से एक सदस्य को पूर्व से ही मनोनीत किया जावे एवं डिकॉय को उस स्थान से सुरक्षित बाहर ले जाने की व्यवस्था करें ताकि किसी प्रकार की हानि नही हो।

j. चिकित्सालय/क्लिनिक का समुचित प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाकर पीसीपीएनडीटी इन्सपेक्शन रिपोर्ट (PIR) भरते हुए अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर फार्म बी, फार्म एफ, ओपीडी रजिस्टर, जन्म रजिस्टर, रेफरल स्लिप, सोनोग्राफी मशीन इत्यादि को सील/सीज किया जावें तथा आवश्यकता पडने पर एफएसएल की मदद ली जावे, ट्रेकर/साइलेन्ट आब्जर्वर या अन्य उपकरण को भी सीज किया जावें, समस्त रिकार्ड को जब्त कर सील/सीजर की कार्यवाही दो निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में आवश्यकतानुसार की जावे।

k. चिकित्सालय परिसर में अपंजीकृत सोनोग्राफी मशीन या इससे संबंधित दस्तावेजों के बरामदगी हेतु निरीक्षण किया जावें।

l. सील/सीजर मीमो तैयार कर इसकी एक प्रति आरोपी चिकित्सक को दी जावे एवं उससे रूपये आदि बरामद हो तो उसकी भी जब्ति बनाकर उसे लिफाफे मे सील किया जावें। चिकित्सक द्वारा डिकॉय महिला से लिये गये रूपयों को जब्त कर पूर्व में कराई गई रूपयों कि छाया प्रति से नोट के नम्बर का मिलान कर यह सुनिश्चित करे कि नोट वही है जो डिकॉय सम्पादन के पूर्व महिला को दिये गये थे।

m. गिरफ्तारी कानून अनुसार की जावे।

n. कानून अनुसार मुलजिमान के हस्ताक्षर प्रत्येक फर्द, जब्ती, गिरफ्तारी आदि पर करवाये जावें।

o. महिलाओं की तलाशी महिला टीम सदस्य से करवायी जावे।

p. डिकॉय आपरेशन के समस्त सदस्य टीम लीडर के प्रति उत्तरदायी हो एवं ऑपरेशन के दौरान भद्रता से पेश आवे।

9. डिकॉय ऑपरेशन संपादित किये जाने के पश्चात के दिशा–निर्देश :–

a. डिकॉय को तुरन्त सुरक्षित स्थान पर ले जाया जावें ताकि आरोपी चिकित्सक उसकी पहचान नही जान सके ताकि भविष्य में उसे डरा/धमका नहीं सके तथा परामर्श किया जाकर उसे अपने घर पहुंचाया जावे।

b. सम्पूर्ण डिकॉय ऑपरेशन को डायरी/नोटशीट पर वर्णित करे जिसमें किये गये प्रत्येक कार्य का उल्लेख हो एवं निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में समस्त कार्य सम्पादन हो। आरोपी चिकित्सक एवं उसके सहयोगियों के बयान लेखबद्ध किये जावें।

c. साक्ष्यों एवं गर्भवती महिला के बयान/वचन लेखबद्ध किये जाकर एक प्रति उन्हें देते हुए समस्त अभिलेख (इलेक्ट्रानिक या अन्यथा) को कब्जे मे लिया जावें एंव समुचित प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखा जावें।

d. केंद्र में अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर सलाहकार समिति की उक्त केंद्र के रजिस्ट्रेशन को निलम्बित करने या निरस्त करने के लिये सलाह ली जाकर समुचित प्राधिकारी उचित निर्णय लेवे।

e. डिकॉय के पश्चात शीघ्र जाँच एंव अनुसंधान समाप्त किया जाकर निष्कर्ष पर पहुंच कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जावे जिसमें अधिनियम के समस्त उल्लंघनों का वर्णन हो एवं अधिनियम की गंभीरता बताये हुये इसका समाज पर प्रभाव के बारे में भी अवश्य लिखे यदि दौराने अनुंसधान किसी अन्य अधिनियम या भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों का भी आवश्यकतानुसार उल्लेख करे।

10. विशेष ध्यान रखने योग्य बाते :–

a. आवश्यकतानुसार पुलिस की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

b. यह विशेष रूप से ध्यान रखा जावे की डिकॉय को संदिग्ध चिकित्सक या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किया जावे तथा साक्षी के रूप में उसको आवश्यकतानुसार विधिक सहायता प्रदान की जावे।

c. डिकॉय के साथ अन्य महिला प्रतिनिधी सहयोगी के रूप में सम्पूर्ण ऑपरेशन में अवश्य साथ रहें।

d. डिकॉय को कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में अवश्य जानकारी दी जावे। ताकि वह मानसिक रूप से आगे सहयोग के लिये अपने आप को तैयार रखे एवं समय समय पर उसे कि गयी कार्यवाही से अवगत कराते रहे।

e. यह अनुशंसा की जाती है कि डिकॉय ऑपरेशन का शीघ्र अनुसंधान किया जाकर इसे विधिक लक्ष्य तक पहुचाया जावे एवं उसके पश्चात भी यह सुनिश्चित किया जावे कि न्याय में देरी न हो एवं अभियुक्त छूट न जावे। शीघ्र कार्यवाही से डिकॉय का संबल बढ़ेगा।

11. थाने में एफआईआरः –

सफल डिकॉय ऑपरेशन के पश्चात समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने की कार्यवाही करें।

(नवीन जैन) 4/4
अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी,
विशे० शासन सचिव एवं M.D. (NHM)
चिकित्सा एवं स्वा० विभाग,
रा० जयपुर।